

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक : सामान्य/०२/२०१७

दिनांक: 15/07/2017

आदेश

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, एतद्वारा, राजस्थान उच्च न्यायालय, राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.2 (5) न्याय/ 2012 दिनांक 10.7.2017 द्वारा सृजित विशेष न्यायालय (लैंगिक अपराधों से बानकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राईट्स एक्ट, 2005), जयपुर के पीठाधीन अधिकारी को सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला की अधिकारिता का प्रयोग करने हेतु अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त करता है।

आदेशानुसार,

(सतीश कुमार शर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल,

राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

क्रमांक : सामान्य/11/33/2017/ 946

दिनांक: 15/07/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ रजिस्ट्रार सीपीसी. रा.उ.न्या.पीठ, जयपुर को वास्ते वेबसाइट पर अपलोड करने।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर
3. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला
4. संबंधित न्यायालय।
5. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर।
6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला
7. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश का प्रकाशन अपने आगामी विशेष अंक में प्रकाशित कर प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें।

आदेशानुसार,

(सतीश कुमार शर्मा)

रजिस्ट्रार जनरल,

राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।